534

बि० प्र० फारम संख्या–562

आदेश पत्रक

केश का प्रकार – दाखिल खारीज
अभिलेख संख्या – 217 | 16-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपण्णी तारीख सहित
12/5/16	श्री लाल किशुनी देवी पिता [illegible] ग्राम गोबरटोली अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री दुर्गा राणा वगैरह पिता स्व० घनश्याम राणा ग्राम जमरखुरी अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 5394 दिनांक 24.12.07 के द्वारा क्रय किया गया है।	

ग्राम	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकवा
गोबरटोली	251	20	729	10 डी०
			729	05 डी०
				15 डी०

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 29/5/2016 को उपस्थापित करें।

तत्कालीन अंचल अधिकारी का प्रतिनियुक्ति [illegible] जाने के कारण पूर्व में पंजी 27 पर [illegible] हेतु उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

30/5/2016 आदेश/अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नही दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या I के पृष्ठ संख्या 68 ......पर विक्रेता केदारा नन्दो राणा के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एव सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति बिसनी देवी पिता/पति प्रमेश्वर राणा ग्राम गोवरटोली के नाम ... स्वीकृत किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकबा	माल
गोवरटोली	251	729 724	10 1/2 05 1/2	25 पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एंव संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।